अनुमंडल कार्यालय, दानापुर

बिहार सरकार

(आपूर्ति शाखा) ई-मेल :-sdodanapur10@gmail.com

अति अल्पकालीन सूचना का प्रकाशन
विज्ञापन संख्या- 01/2026-27

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1070/खाद्य, दिनांक 13.03.2023, पत्रांक 1663/खाद्य, दिनांक 18.04.2023 एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक I/228263/2025 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 14396 दिनांक 10.09.2024 के आलोक में आदर्श आरक्षण रोस्टर बिन्दु का अनुमोदनोपरांत बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 एवं बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 में वर्णित प्रावधानों के तहत दानापुर अनुमंडल के जन वितरण प्रणाली के दुकानों की कोटिवार रिक्तियाँ निम्न प्रकार है :-

(प्रखंडवार/निकायवार, पंचायतवार/वार्डवार एवं कोटिवार रिक्ति विवरणी)

क्र0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत /नगर निकाय का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्ति की संख्या							कुल रिक्ति
			अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0 पि0 वर्ग	पि0 वर्ग	पि0 वर्गों की महिलाएँ	अनारक्षित	आ0रु0 से कमजोर वर्ग	
1	मनेर	मगरपाल						1		1
2	मनेर	दर्वेशपुर उत्तरी		1						1
3	मनेर	बांक					1			1
4	मनेर	व्यापापुर						1		1
5	दानापुर	पतलापुर			1			1		2
6	दानापुर	हेतनपुर							1	1
7	दानापुर	पुरानी पानापुर		1						1
8	दानापुर	जमसौत						1		1
9	दानापुर	हथियाकांध			1					1
10	दानापुर	सरारी						1		1
11	दानापुर	लखनी बिगहा					1			1
12	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 01		1				1		2
13	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 03			1			1		2
14	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 07							1	1
15	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 11		1			1	1		3
16	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 12						1		1
17	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 15			1					1
18	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 16						1		1
19	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 18					1	1		2
	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 19			1				1	2
20	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या- 21			2			1		3

बिहार सरकार

अनुमंडल कार्यालय, दानापुर

(आपूर्ति शाखा) ई–मेल :–sdodanapur10@gmail.com

क्र0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत / नगर निकाय का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्ति की संख्या							कुल रिक्ति
			अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0 पि0 वर्ग	पि0 वर्ग	पि0 वर्गों की महिलाएँ	अनारक्षित	आ0रु0 से कमजोर वर्ग	
21	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 22			1			1		2
22	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 24						1		1
23	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 26			1			1		2
24	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 27			1				1	2
25	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 28			1			1		2
26	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 29			2			1		3
27	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 33						1		1
28	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 34			1			1		2
29	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 35			1					1
30	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 37			1				1	2
31	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 38			1			1		2
32	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 39			1			1		2
33	दानापुर नगर परिषद	वार्ड संख्या– 40			1			1		2
34	नगर परिषद खगौल	नगर परिषद खगौल वार्ड संख्या– 09						1		1
35	नगर परिषद खगौल	नगर परिषद खगौल वार्ड संख्या– 10			1					1
36	नगर परिषद खगौल	नगर परिषद खगौल वार्ड संख्या– 20							1	1
37	नगर परिषद खगौल	नगर परिषद खगौल वार्ड संख्या– 22					1			1
38	नगर परिषद खगौल	नगर परिषद खगौल वार्ड संख्या– 23		1						1
39	पटना नगर निगम	वार्ड संख्या– 03			5			4	1	10
40	छावनी परिषद दानापुर	छावनी नगर परिषद दानापुर वार्ड संख्या– 05			1					1

अनुमंडल कार्यालय, दानापुर

बिहार सरकार

(आपूर्ति शाखा) ई–मेल :–sdodanapur10@gmail.com

क्र0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत /नगर निकाय का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्ति की संख्या							कुल रिक्ति
			अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0 पि0 वर्ग	पि0 वर्ग	पि0 वर्गों की महिलाएँ	अनारक्षित	आ0रुप से कमजोर वर्ग	
41	छावनी परिषद दानापुर	छावनी नगर परिषद दानापुर वार्ड संख्या– 07			1			1		2
42	बिहटा	आनन्दपुर						1		1
43	बिहटा	परेव			1					1
44	बिहटा	दौलतपुर सिमरी						1		1
45	बिहटा	दयालपुर दौलतपुर			1					1
46	बिहटा	विष्णुपुरा			1			1	1	3
47	बिहटा	कंचनपुर खडगपुर			1					1
48	बिहटा	बेला			1		1			2
49	नगर परिषद बिहटा	वार्ड संख्या– 02					1			1
50	नगर परिषद बिहटा	वार्ड संख्या– 08					1			1
51	नगर परिषद बिहटा	वार्ड संख्या– 09					1			1
52	नगर परिषद बिहटा	वार्ड संख्या– 21			1					1
53	नगर परिषद बिहटा	वार्ड संख्या– 27							1	1
54	प्रखण्ड नौबतपुर	नवडिहा			1					1
55	प्रखण्ड नौबतपुर	गोनवॉ					1			1
56	प्रखण्ड नौबतपुर	सावरचक			1					1
57	नगर पंचायत–नौबतपुर	नगर पंचायत– 08					1			1
58	नगर पंचायत–नौबतपुर	नगर पंचायत– 10					1			1
59	नगर पंचायत–नौबतपुर	नगर पंचायत– 14					1			1
कुल			0	5	35	0	13	31	9	93

उपरोक्त वर्णित कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दूकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में अनुसूची–1 एवं 2 (जो लागू हो) में सुयोग्य आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.04.2026 से दिनांक 20.05.2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में (10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक) बन्द लिफाफा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अनुमंडल कार्यालय, दानापुर के कार्यालय में स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 20.05.2026 के अपराह्न 05:00 बजे के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह विज्ञापन सी0डब्लु0जे0सी0 सख्या– 16760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबद्ध सभी अन्य मामलो में दिनांक 20.06.2024 को

अनुमंडल कार्यालय, दानापुर

(आपूर्ति शाखा) ई–मेल :–sdodanapur10@gmail.com

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0 मे पारित आदेश के फलाफल से यह प्रभावित होगा।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता के नियुक्ति हेतु पूर्व में दिये गये सभी आवेदन अमान्य किया गया है। वैसे इच्छुक आवेदक जो उचित मूल्य की नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहते है उन्हें इस विज्ञापन के तहत आवेदन समर्पित करना होगा।

जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं शर्तें निम्न प्रकार है :–

i. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962, दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 04 प्रतिशत (कुल 04 पद) देय होगा।

ii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार पद क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 02 प्रतिशत (कुल 02 पद) देय होगा।

iii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या –11/आ0नी0–I–11/2015/सा०प्र० 2342,पटना–15, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत (कुल 34 पद) क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

iv. यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम द्वारा भरा जायेगा।

1. **पात्रता एवं शर्तें :–**

i- उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

ii- उम्र– दिनांक 01.03.2026 को आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

iii- आवेदक द्वारा समर्पित किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होने चाहिए।

iv- उचित मूल्य की दूकान के आवंटन में प्राथमिकतायें निम्न रुप में होगी :–

(क) स्वयं सहायता समूह।

(ख) महिलाओं की सहकारी समितियाँ।

(ग) पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ।

(घ) शिक्षित बेरोजगार।

(ड़) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (शहरी) के निवासियोंको प्राथमिकता दी जायेगी।

2. **उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताऐं :–**

i. एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।

ii. मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रुप में अपने कार्य काल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

iii. आटा–चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

iv. अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

v. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रुप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

vi. सरकार में लाभ के पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

3. चयन की प्रक्रिया :–

i. अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।

ii. तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधासूची का प्रकाशन अपर जिला दण्डाधिकारी, (आपूर्ति) पटना एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के कार्यालय सूचनापट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जायेगा।

iii. दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जायेगी।

iv. अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन किया जायेगा। साथ ही सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति के तिथि से अधिकत्तम 30 दिनों के भीतर किया जायेगा।

v. वैसे सभी मामले में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधासूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किंतु जिन मामले में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

vi. जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

4. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :–

i. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदक संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर) को अपना आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित करेंगे। पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं आवेदन का विहित प्रपत्र के नमूने की जानकारी आवेदक अनुमंडल कार्यालय दानापुर के सूचना पट्ट से कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते है। साथ ही साथ कोटिवार रिक्तियों की सूचना प्रखण्ड/अंचल/समाहरणालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध रहेगा, इसके अतिरिक्त कोटिवार रिक्तियॉ एवं बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र अनुसूची–01 एवं अनुसूची–02 ही सिर्फ मान्य होगा। व्यक्ति अनुसूची–1 में एवं स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहकारी

समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ अनुसूची–2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। दोनो अनुसूची जिला के वेबसाईट www.patna.nic.in पर एवं अनुमंडल कार्यालय दानापुर के सूचना पट्ट पर भी उपलब्ध रहेगा।

ii. अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरुपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

iii. स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गो की महिलायें तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

iv. जन वितरण दुकान आवंटन प्रक्रिया के दौरान उच्चाधिकारियों अथवा माननीय न्यायालय का प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने पर आवंटन प्रक्रिया बिना कारण बताए रद्द कर दिया जायेगा। रद्द दुकान के विरूद्ध निकाले गए रिक्तियों के विरूद्ध दुकान आवंटन माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल पर निर्भर करेगा। यदि माननीय न्यायालय द्वारा रद्द दुकान बहाल करने का आदेश दिया जाता है तो उस रद्द दुकान के स्थान पर आवंटित नई दुकान की अनुज्ञप्ति बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जायेगा।

v. आवेदक को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषक क्षेत्र में रखना होगा एवं विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से, अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर लाभुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति दी जा सकेगी।

vi. आवेदन पत्र के साथ शूल्क के रुप में कोई भी राशि देय नहीं है।

vii. "जिला स्तरीय चयन समिति" द्वारा अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 1000/– (एक हजार) रू0 ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा एवं अनुज्ञप्ति फीस जमा करने के पश्चात ही अनुसूची–3 में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

viii. अपूर्ण/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

ix. एक से अधिक पंचायत के लिये आवेदन करने पर आवेदक का सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

x. अपरिहार्य कारणवश विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित कागजात/प्रमाण पत्र :–

(क) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये :–

i. आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन तीन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जिसमें से एक स्व–अभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए। शेष दो फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए।आवेदन पत्र में आवेदक को अपना मोबाईल संख्या हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के नीचे अंकित करना आवश्यक होगा।

ii. शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति ।

iii. अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

बिहार सरकार

अनुमंडल कार्यालय, दानापुर

(आपूर्ति शाखा) ई–मेल :–sdodanapur10@gmail.com

v. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26.02.2019 में संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

vi. सभी कोटि के आवेदक को आचरण प्रमाण पत्र, जो 06 माह से अधिक की अवधि की नहीं होनी चाहिए, को आवेदन पत्र के साथ स्व–अभिप्रमाणितप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vii. आवेदक पोषण क्षेत्र अन्तर्गत जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दूकान का संचालन करना चाहते है, दुकान या गोदाम का स्थल अगर निजी है, तो उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला तथा अद्यतन लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति अथवा अगर किराया का है तो किरायानामा से संबंधित एकरारनामा की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ समर्पित करेगें।

6. **आवेदक इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि :–**

(क)

i. आवेदक के संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली की दूकान नहीं है।

ii. आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रुप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।

iii. आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

iv. आवेदक सरकारी लाभ/सरकारी नौकरी के किसी पद पर पदस्थापित नहीं है।

v. आवेदक अथवा उनके निकट रिश्तेदार के पास आटा चक्की नहीं है।

vi. आवेदक वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य नहीं है।

vii. आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है। (यदि हो तो पूर्ण विवरण अंकित करें।)

(ख) <u>स्वयं सहायता समूह के लिये</u> :–

i. समूह का गठन न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो।

ii. निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति।

iii. स्वयं सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

iv. स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति।

v. आरक्षण का दावा हो, तो प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का स्व–अभिप्रमाणि छायाप्रति संलग्न करें।

7. **<u>आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि</u> :–**

पूर्ण रुपेण भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न अनुलग्नकों के साथ बंद लिफाफे में **21.04.2026 से दिनांक 20.05.2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में (10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक)** तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा **"अनुज्ञापन प्राधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, छावनी परिषद, दानापुर, जिला– पटना बिहार, पिन कोड– 801503"** के पते पर स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि **(दिनांक 20.05.2026 अपराहन 05:00 बजे)** के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची – 1

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

1. **आवेदक की विशिष्टियाँ –**
   - (क) नाम
   - (ख) पिता / पति का नाम
   - (ग) शैक्षणिक योग्यता
   - (घ) उम्र
   - (ङ) स्थायी तथा वर्त्तमान पता (फोन नं./ मोबाईल नं./ ई–मेल पता के साथ)
   - (च) कम्प्यूटर ज्ञान
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
   व्यवसाय स्थल का विवरण
   - (क) मकान / दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   - (ङ) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम / शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला
3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?
12. क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद्द्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

" बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची – 2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र

(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....
एवं कार्यालय का पता

1. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ**
   (क) नाम एवं प्रकार :
   (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
   (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   (ग) कार्यालय का पता :
   (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   (ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
   (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
3. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-
   (क) नाम :
   (ख) पिता/पति का नाम :
   (ग) स्थायी पता :
   (घ) पत्राचार का पता :
   (ङ) फोन नं0/मोबाईल नं0/ :
   ई-मेल पता :
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. **व्यवसाय स्थल का विवरण :-**
   (क) मकान / दुकान संख्या :
   (ख) होल्डिंग नं0 :
   (ग) क्षेत्रफल :
   (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   (ङ) चौहद्दी :
   (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   (छ) ग्राम / शहर :
   (ज) थाना :
   (झ) जिला :
   (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें
8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :–
   (आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं .... एतद्द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक......................... को पारित प्रस्ताव संख्या.................द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि ....की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है ।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर	आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम	सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम

अनुमंडल कार्यालय, दानापुर

बिहार सरकार

(आपूर्ति शाखा) ई–मेल :–sdodanapur10@gmail.com

लिफाफे के उपर निम्नांकित विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है :–

उचित मूल्य की दूकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

विज्ञापन संख्या –
आरक्षण कोटी –
वार्ड संख्या/ पंचायत का नाम–
प्रखण्ड का नाम –

8. आवेदक द्वारा आवेदन मे अंकित गलत सूचना अथवा फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली जाती है तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए आवेदक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता एवं विधि द्वारा स्थापित सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

7/5/26

अनुज्ञापन प्राधिकारी
–सह–
अनुमंडल पदाधिकारी,
दानापुर।

E:Nand letter8